

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

FLAT NO. 10, 1ST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000 E-mail : [apma1965@yahoo.in](mailto:apma1965@yahoo.in) Website : [www.apma.biz](http://www.apma.biz)

**R.K. GUPTA**  
**PRESIDENT**  
Mobile : 9891008503

**VISHNU BHARGAVA**  
Hony. General Secretary  
Mobile : 9811139614

**VINAY NARANG**  
Hony. Treasurer  
Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा / 2016-2018 / 156

दिनांक : 3-8-2017

आप सभी व्यापारी भाइयों को सूचित किया जाता है कि आगामी स्वतन्त्रता दिवस पर कश्मीरी गेट क्षेत्र में कानून व्यवस्था व सुरक्षा बनाये रखने हेतु कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के सौजन्य से शनिवार 5 अगस्त 2017 को सायं 4.00 बजे गुरु नानक मोटर मार्किट के मेन द्वार पर मै0 इम्पीरियल मोटर के पास स्वतन्त्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

साथियों, इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित जानकारी विस्तारपूर्वक दी जाएगी। इसलिए आप सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि शनिवार 5 अगस्त 2017 को सायं 4.00 बजे गुरु नानक मोटर मार्किट के मेन द्वार पर आयोजित स्वतन्त्रता दिवस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर भाग ले तथा झल्लीवाले, ठेलेवाले, रिक्शेवाले को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016-2018 / 157

जीएसटी युग के पहले महीने के अंत के कार्यों के लिए कुछ बिन्दु दिये गये है।  
जीएसटी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए -

1. अपने सभी लेनदेन के समेकित बिल तैयार करें जिसमें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा। \* कृपया ध्यान दें कि अगस्त के लिए पहले बिल जारी करने से पहले रिवर्स प्रभार के लिए स्वयं पर बिल बढ़ाने की प्रक्रिया होनी चाहिए।
2. अपनी बिक्री प्रविष्टियों को अंतिम रूप देने शुरू करें और जांच करें कि आपके सभी **B2B** बिक्री में GSTIN ठीक से उद्धृत किए गए हैं।  
इसी तरह अपने GSTIN की जांच करें कि आपकी खरीदारी / व्यय बिल में सही ढंग से उल्लेख किया गया है।
3. समेकित विवरण युक्त **3B FORM** को 20 अगस्त तक करों के भुगतान के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। जुलाई के लिए पूरी जीएसटी 5 सितंबर तक दायर करने की जरूरत है।
4. वैट या एक्साइज का मौजूदा क्रेडिट केवल Tran 1 दर्ज होने के बाद ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए यदि **Tran1 FORM** 20 अगस्त तक दर्ज नहीं किया है तो कर दायित्व को नकद / बैंक में छोड़ दिया जाना चाहिए। हम आगे आने वाले दिनों में **Form 3B** तैयार करने और तैयार करने के लिए सरल कदम प्रदान करेंगे। तब तक आप अपना अकाउंटिंग और महीने की अंत प्रविष्टियां पूरी कर सकते हैं।

Contd.....P/2

सरकूलर नं0 अपमा / 2016-2018 / 158

आप सभी व्यापारी भाईयों की जानकारी हेतु GST TAX INVOICE का प्रारूप एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। इसके अलावा आप इस GST TAX INVOICE प्रारूप में अपने व्यापार के अनुसार अन्य विवरण दे सकते हैं, कृपया ध्यान दें।

<b>GSTIN :</b>													<b>original Copy</b>	
<b><u>TAX INVOICE</u></b>														
M/s.														
Address :														
PAN :														
Tel :						Email :								
<b>Party Details :</b>														
M/s.								Invoice No :						
Address :								Dated :						
Party PAN :								Place of Supply :						
Party Mobile No :								Reverse Charge :						
GSTIN / UIN :														
.. N	Description of Goods	Item Alias	HSN/ SAC	Qty.	Unit	List Price	Discount	Price	CGST Rate	SGST Amount	SGST Rate	SGST Amount	Amount (Rs.)	
<b>Less : Rounded Off (-)</b>														
<b>Grand Total</b>														
<b>Tax Rate</b>	<b>Taxable Amt.</b>	<b>CGST</b>	<b>SGST</b>	<b>Total Tax</b>										
<b>Rupess :</b>														
<b>Terms &amp; Conditions</b>								<b>Receiver's Signature</b>						
Terms & Conditions Receiver's Signature : E.& O.E. 1. Goods once sold will not be taken back. 2. Interest @ 18% p.a. will be charged if the payment is not made with in the stipulated time. 3. Subject to 'Delhi' Jurisdiction only.														

( विष्णु भार्गव )  
म्हासचिव